



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

सी.जी.-ओ.आर.-अ.-11072025-264541
CG-OR-E-11072025-264541

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3021]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 11, 2025/आषाढ़ 20, 1947

No. 3021]

NEW DELHI, FRIDAY, JULY 11, 2025/ASHADHA 20, 1947

रेलवे मंत्रालय

[पूर्व तट रेलवे (निर्माण)]

अधिसूचना

भुवनेश्वर, 11 जुलाई, 2025

का.आ. 3090(अ).—केंद्र सरकार, रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) की धारा 2 के खंड 7 (क), द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सरकारी राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से, ओडिशा राज्य में एतद्वारा नीचे दी गई तालिका के मद सं. 2 में वर्णित अधिकारी को मद सं. 3 में उल्लिखित विशेष रेल परियोजना के क्षेत्र से संबंधित, इस तरह के कार्य करने के लिए, सक्षम प्राधिकारी के रूप में अधिकृत करती है।

सारणी

विशेष रेल परियोजना

क्रम संख्या	परियोजना का नाम	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र
(1)	(2)	(3)
1.	कट्टक-नेरगुंडी चौथी लाइन तथा नेरगुंडी में फ्लाईओवर के लिए भूमि अधिग्रहण के संबंध में, भूमि अधिग्रहण पदाधिकारी, कलेक्टरेट, कट्टक।	ओडिशा
2	हरिदासपुर से पारादीप खंड के दोहरीकरण के लिए संबंधित क्षेत्राधिकार में भूमि अधिग्रहण हेतु भूमि अधिग्रहण पदाधिकारी, कलेक्टरेट, जाजपुर, केंद्रापड़ा एवं जगतसिंहपुर।	ओडिशा

[फा. सं.पूत्रे/नि/भुवनेश्वर/एलए/ सीटीसी ऊपरी पुल और एचडीएस-पीआरडीपी]

सुधीर कुमार परिदा, मध्य अभियन्ता, (निर्माण-III)

MINISTRY OF RAILWAYS

[East Coast Railway (Construction)]

NOTIFICATION

Bhubaneswar, the 11th July, 2025

S.O. 3090(E).—In exercise of the powers, conferred by Clause 7(A) of Section-2 of the Railways Act, 1989(24 of 1989) the Central Government hereby authorize the officer mentioned in column (2) of the Table below as the Competent Authority to perform the function of such authority under said Act in respect of area of the Special Railway Project mentioned in column (3) of the Table below in the state of **Odisha** with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

TABLE

Special Railway Project

SI No	Name of the Project	State/UT
(1)	(2)	(3)
1	Land acquisition officer, Collectorate, Cuttack for Land acquisition of “Cuttack-Nergundi 4 th line along with flyover at Nergundi.”	Odisha
2	Land Acquisition Officer, Collectorate, Jajpur, Kendrapada and Jagatsinghpur for Land acquisition of “Doubling between Haridaspur and Paradeep Section in their respective jurisdictions.	Odisha

[F. No. ECoR/Con/BBS/LA/ CTC Flyover & HDS-PRDP]

SUDHIR KUMAR PARIDA, Chief Engineer (Construction-III)